कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 429/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.11.2026

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

☐ महिला को झांसे में लेकर सोने के कानफूल ठगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कानफूल बरामद।

☐ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2026 को अभियुक्त द्वारा थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेहियापार निवासी गुलाबचन्द जायसवाल के घर पहुंचकर उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने का फायदा उठाते हुए पानी फूंककर पिलाने एवं उपचार का झांसा देकर उनके दोनों कानों से सोने के कानफूल (टप्स) लेकर चले जाने की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 345/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी-

दिनांक 13.11.2026 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह पुलिस बल एवं सर्विलांस टीम द्वारा क्षेत्र में पतारसी-सुरागरसी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त *मोहित शुक्ला पुत्र जगदम्बा प्रसाद शुक्ला निवासी धौरुवा, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर* को पखनपुर तिराहे के पास से समय करीब 10:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से एक जोड़ी पीली धातु के कानफूल (टप्स) बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP45AZ7716 (होण्डा साइन 100) को भी कब्जे में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने पम्पिंग सेट देखने के बहाने वादी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने का फायदा उठाया तथा पानी फूंककर पिलाने एवं उपचार का झांसा देकर उनके सोने के दोनों कानफूल लेकर अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया था। बरामद कानफूल उसी घटना से संबंधित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित शुक्ला पुत्र जगदम्बा प्रसाद शुक्ला निवासी धौरुवा, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र 37 वर्ष।

बरामदगी-

एक जोड़ी पीली धातु के कानफूल (टप्स) तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होण्डा साइन 100 संख्या UP45AZ7716।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 345/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

इस गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्रवाई में उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला, हे0का0 हरिश्चन्द्र भास्कर, हे0का0 सीताराम यादव व का0 शिवम कुमार मिश्र थाना अहरौला तथा उ0नि0 सुनील तिवारी एवं हे0का0 बसंत यादव सर्विलांस टीम आजमगढ़ शामिल रहे।

☐ थाना जहानागंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टांगी, लाठी व 02 बांस के गुटके बरामद।

☐ थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा मारपीट एवं एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिये गये।

☐ दोनों थाना क्षेत्रों में कुल 03 अभियुक्तों/बाल अपचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त 04 लाठियां एवं अन्य आलाकत्ल बरामद।

थाना जहानागंज की कार्रवाई-

दिनांक 11.11.2026 को थाना जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रानीपुर धरवारा में पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर वादी मन्नू कुमार व उनके परिजनों के साथ लाठी-डण्डा एवं टांगी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 236/26 धारा 115(2)/352/351(3)/118(1)/109(1)/3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

दिनांक 13.11.2026 को उ0नि0 लवकुश सोनकर मय हमराह पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त लालजी बासफोर पुत्र रामरूप बासफोर निवासी रानीपुर धरवारा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को सेवटा मोड़ से समय करीब 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर झाड़ियों से 01 टांगी, 01 लाठी एवं 02 बांस के गुटके बरामद किए गए।

थाना मेंहनगर की कार्रवाई-

दिनांक 10.11.2026 को थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करौती में मेले से घर जा रहे उमाशंकर राम के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 373/26 धारा 109(1), 352 बीएनएस एवं धारा 3(द), 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 13.11.2026 को उ0नि0 जयप्रकाश नारायण मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 बाल अपचारियों को करौती धरनीपुर मोड़ से समय करीब 11:40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 लाठियां बरामद की गईं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लालजी बासफोर पुत्र रामरूप बासफोर निवासी ग्राम रानीपुर धरवारा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 58 वर्ष।

पुलिस अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी-

थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करौती निवासी 02 बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरण-

1. थाना जहानागंज- 01 टांगी, 01 लाठी एवं 02 बांस के गुटके।
2. थाना मेंहनगर- 02 लाठियां।

गिरफ्तारी/पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीमें-

थाना जहानागंज की पुलिस टीम में उ0नि0 लवकुश सोनकर, हे0का0 गोविन्द सिंह, रि0का0 आकाश सिंह निषाद एवं रि0का0 अनुप यादव शामिल रहे।

थाना मेंहनगर की पुलिस टीम में उ0नि0 जयप्रकाश नारायण, हे0का0 जितेन्द्र, हे0का0 नागेन्द्र एवं हे0का0 राजेश शामिल रहे।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर फ्रॉड के पीड़ित को थाना रौनापार पुलिस द्वारा ₹5,000/- की धनराशि वापस कराई गई।

☐ साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक कुल ₹55,225.41/- की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई जा चुकी है।

घटना का विवरण-

आवेदक जगदीश भारती पुत्र गोपाल भारती निवासी ग्राम बैदौली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ का मोबाइल फोन दिनांक 13.04.2026 को दिल्ली में चोरी हो गया था। दिनांक 17.04.2026 को गांव आकर नया सिम प्राप्त करने के उपरांत शाम को सिम चालू होते ही उनके बैंक खाते से कुल ₹1,15,090/- की धनराशि साइबर फ्रॉड के माध्यम से निकाल ली गई। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 18.04.2026 को थाना रौनापार पर शिकायत संख्या 33104260085818 दर्ज कराई गई थी।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-

शिकायत प्राप्त होने पर साइबर टीम आजमगढ़ द्वारा संबंधित बैंकों से ई-मेल एवं वार्ता के माध्यम से समन्वय स्थापित कर फ्रॉड की गई कुल धनराशि में से ₹95,653.61/- विभिन्न खातों में होल्ड कराए गए। होल्ड धनराशि में से दिनांक 07.11.2026 को MRM पोर्टल के माध्यम से ₹5,000/- आवेदक के बैंक खाते में वापस कराए गए। इस प्रकार अब तक आवेदक को कुल ₹55,225.41/- की धनराशि वापस कराई जा चुकी है। शेष होल्ड धनराशि को भी MRM पोर्टल पर अपडेट होने के उपरांत वापस कराए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम-

साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने एवं जान से मारने की कोशिश करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.11.2026 को वादी मुकदमा अनमोलचन्द दूबे पुत्र स्व0 सूर्यभान दूबे निवासी ग्राम नाथूपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बहन सोनम को उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया तथा जान से मारने की नियत से मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 467/2026 धारा 109(1), 115(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 शिवम द्विवेदी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 13.11.2026 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मुकदमे के संबंध में जानकारी करने हेतु थाना परिसर में मौजूद है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कृष्णा उपाध्याय पुत्र रामबचन निवासी ग्राम घोरठ, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना परिसर से समय करीब 13:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्णा उपाध्याय पुत्र रामबचन निवासी ग्राम घोरठ, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 467/2026 धारा 109(1), 115(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

इस कार्रवाई में उ0नि0 शिवम द्विवेदी, हे0का0 सुजीत कुमार सिंह एवं का0 सत्यम श्रीवास्तव थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ मोबाइल छिनैती की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का मोबाइल फोन बरामद।

☐ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी थाना कोतवाली पर चोरी एवं आयुध अधिनियम के अभियोग पंजीकृत हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.11.2026 को वादिनी गुड़िया पुत्री श्री टुनू राम निवासी ग्राम लेदिया, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि पेट्रोल पम्प से करीब 200 मीटर पूरब दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 465/2026 धारा 304(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

दिनांक 13.11.2026 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1. राहुल भारती पुत्र राजन भारती निवासी एसबीआई के पास सिधारी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष तथा 2. शिवा मौर्या पुत्र पप्पू निवासी रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, हाल पता शंकर तिराहे के पास काजू यादव का मकान, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को न्यू जमालपुर रोड से समय करीब 13:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से छिनैती का एक रेडमी नोट 15 SE 5G मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. राहुल भारती पुत्र राजन भारती निवासी एसबीआई के पास सिधारी, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. शिवा मौर्या पुत्र पप्पू निवासी रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, हाल पता शंकर तिराहे के पास काजू यादव का मकान, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद रेडमी नोट 15 SE 5G मोबाइल फोन (छिनैती का)।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राहुल भारती-

1. मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 328/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त शिवा मौर्या-

1. मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 465/2026 धारा 304(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

इस कार्रवाई में उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव, का0 गौरव जायसवाल, का0 ऐश कुमार एवं का0 आकाश कुमार थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।